न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2347–एक/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–4–2014 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर राजस्व जिला देवास के प्रकरण कमांक 01/स्वमेव निगरानी/2013–14

.....

1–अशोक पिता चन्द्ररसिंह,

2–दिलीपसिंह पिता चन्द्ररसिंह

3–बसंतसिंह पिता चन्द्ररसिंह,

समस्त निवासीगण ग्राम टिनोनियॉ,

तहसील व जिला देवास ..... आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ..... अनावेदक

.....

श्री बृजपालसिंह सोंलकी, अभिभाषक–आवेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 26/10/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, राजस्व जिला देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–04–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि के संबंध में बंदोबस्त के दौरान हुई त्रुटि के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 5/अ–6/2012–13 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । तहसीलदार द्वारा दिनांक

19–3–2013 को जॉच कर प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13–9–13 को आदेश पारित कर बन्दोबस्त के दौरान हुई त्रुटि संशोधित की गई । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश में अनियमितता पाते हुये अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का प्रकरण कमांक 73/जॉच/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 13–9–13 स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर दिनांक 30–4–2014 को आदेश पारित करते हुये उक्त आदेश निरस्त किया गया । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भू–अभिलेख की ओर से प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित करने में अधिकारिता विहिन कार्यवाही की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि बन्दोबस्त में हुई त्रुटि के संशोधन पर पड़ोसी कृषकों एवं अन्य किसी कृषकों को कोई आपत्ति नहीं है । इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पड़ोसी कृषकों का रकबा प्रभावित होने संबंधी निष्कर्ष निकालने में विधि की गंभीर भूल की गई है, इसलिये उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्व आदेश पारित करने में विधिवत् जॉच कराई जाकर तहसीलदार के प्रतिवेदन पर आदेश पारित किया गया है, जिसे निरस्त करने में अपर कलेक्टर द्वारा अवैधानिकता की गई है । उनके द्वारा अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदकगण द्वारा बन्दोबस्त के दौरान हुई त्रुटि को संशोधित करने हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया और तहसीलदार द्वारा जॉच कर प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बन्दोबस्त के दौरान हुई त्रुटि को संशोधित किया गया

है, परन्तु उनके द्वारा इस महत्वपूर्ण स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया है। आवेदकगण वर्तमान केताओं के द्वारा बन्दोबस्त में हुये परिवर्तन के पश्चात् की स्थिति में भूमि क्रय की गई है, अतः बन्दोबस्त के पूर्व की स्थिति के आधार पर उन्हें प्रश्नाधीन भूमि पर किसी प्रकार के कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं, अतः अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, राजस्व जिला देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–04–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर